



PT. G.B. PANT HIGH ALTITUDE
NAINITAL ZOO

कार्यालय निदेशक, जी०बी० पन्त, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल

Website- www.nainitalzoo.org.in E-mail - nainitalzoouk@gmail.com Ph:- 05942-237927

पत्रांक

63/2-जू(टैण्डर)

दिनांक

06/09/2021

चिड़ियाघर में मांस की आपूर्ति हेतु निविदा के नियम एवं शर्तें

1. निविदा जमा करने के अन्तिम तिथि व समय:- दिनांक 18.09.2021 दोपहर 2:00 बजे तक।
2. निविदा खोलने की तिथि व समय:- दिनांक 18.09.2021 दोपहर 2:30 बजे।
3. निविदा जमा करने का स्थान:- कार्यालय, निदेशक, जी०बी० पन्त, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल-263002, उत्तराखण्ड।
4. सामग्री की आपूर्ति :- मांस हेतु चयनित ठेकेदार/संस्था/एजेन्सी कि निम्नानुसार उच्च गुणवत्ता युक्त मांस की आपूर्ति करना सुनिश्चित करेगा:- भैंसा मांस, बकरा मांस, मुर्गा मांस आदि।
5. ठेके की अवधि:- मांस आपूर्ति के ठेके कि अवधि दिनांक 01.11.2021 से 31.10.2022 तक रहेगी। जिसकी अवधि आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
6. अर्हता कि शर्तें:-
 - 6.1. ताजे मांस की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु केवल स्थानीय पशु वधशाला तथा मांस बेचने का लाईसेंस प्राप्त निविदादाता ही निविदा देने के पात्र होंगे।
 - 6.2. प्रत्येक ठेकेदार के पास आयकर विभाग द्वारा जारी PAN होना चाहिए। बिना PAN का ठेका मान्य नहीं होगा। PAN की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - 6.3. ठेकेदार किसी भी सरकारी विभाग द्वारा कभी भी काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
 - 6.4. एक निविदादाता मात्र एक ही निविदा डाल सकेगा।
7. अर्नेस्टमनी डिपोजिट (EMD):- निविदादाता द्वारा टेण्डर फार्म/आवेदन के साथ रू० 15,000.00 (रू० पन्द्रह हजार मात्र) धनराशि का टी०डी०आर०/राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एन.एस.सी.) जो "निदेशक, नैनीताल प्राणी उद्यान" के नाम से हो अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। निविदादाता की पूर्व में प्राणी उद्यान में जमा जमानत राशि मान्य होगी।
8. चयनित ठेकेदार के दायित्व:-
 - 8.1. चयनित ठेकेदार को मांस की आपूर्ति प्राणी उद्यान नैनीताल एवं रैस्क्यू सेन्टर रानीबाग पर करनी होगी।
 - 8.2. चयनित ठेकेदार द्वारा वर्तमान में प्रचलित सम्बन्धित समस्त नियमों/अधिनियमों का अनुपालन करना होगा।
 - 8.3. चयनित ठेकेदार पर तीसरे पक्ष द्वारा योजित मुकदमें या अन्य मामलों में चिड़ियाघर प्रबन्धन जिम्मेदार नहीं रहेगा।
 - 8.4. चयनित ठेकेदार चिड़ियाघर कि पूर्वानुमती के बिना सम्पूर्ण सामग्री आपूर्ति किसी अन्य ठेकेदार/संस्था को सबलेट नहीं करेगा।
 - 8.5. चयनित ठेकेदार द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक मांस जो जानवरों के खाने योग्य होगा की आपूर्ति प्रतिदिन करेगा।
 - 8.6. चयनित ठेकेदार द्वारा ताजा, रोग मुक्त मांस की आपूर्ति करनी होगी। खराब, सड़े गले, बीमारी से ग्रसित मांस की आपूर्ति मान्य नहीं होगी।
 - 8.7. चयनित ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से एकत्रित/भण्डारित मांस की आपूर्ति मान्य नहीं होगी।
 - 8.8. चयनित ठेकेदार को किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने पर कोई भी अन्य व्यय का भुगतान नहीं दिया जायेगा। आपदा आने पर मांस की आपूर्ति नियमित रूप से करनी होगी। इसमें किसी भी प्रकार का तर्क मान्य नहीं होगा।

8.9.मांस को प्रतिदिन नैनीताल नगरपालिका द्वारा अधिकृत पशु चिकित्सक के द्वारा अनिवार्य रूप से प्रमाणित किए जाने के उपरान्त ही प्राणि उद्यान में आपूर्ति करनी होगी। प्रमाण स्वरूप मांस में जांच की जाने वाली मुहर लगनी आवश्यक है।

9.टेण्डर जमा करना:-

9.1.निविदा प्रपत्र, निदेशक, कार्यालय, जी0बी0 पन्त, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल से दिनांक 17.09.2021 दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र प्राणी उद्यान की वेबसाईड www.nainitalzoo.org.in पर भी उपलब्ध है। निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट से डाउनलोड कर उपयोग किया जा सकता है। इच्छुक निविदादाता निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 1000.00+18% GST = 1180.00(रू0 एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) (Nonrefundable) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट को निदेशक, नैनीताल प्राणी उद्यान के नाम पर निरूपित करना होगा।

9.2.निविदादाता द्वारा निविदा के साथ निविदा प्रपत्र की धनराशि व अर्नेस्टमनी की धनराशि डिपोजिट (EMD) करना आवश्यक है।

9.3.निविदादाता द्वारा बन्द लिफाफे में निविदा को निदेशक, कार्यालय, जी0बी0 पन्त, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल में स्थित निविदा पेटिका में दिनांक 18.09.2021 को दोपहर 02:00 बजे तक जमा कर सकते हैं।

9.4.निविदा दाता को समस्त आवश्यक संलग्नक यथा अर्नेस्टमनी (टी0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट/NSC), निविदा शुल्क का ड्राफ्ट, PAN की छायाप्रति, काली सूची में दर्ज न होने का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, संतोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र एवं GST पंजीकरण संख्या की प्रति को लिफाफे 'A' में एवं निविदा दरे द्वितीय लिफाफे 'B' में अलग-अलग रख कर दोनों लिफाफों को लिफाफे 'C' में एक साथ रखकर प्रस्तुत करें।

9.5.निविदादाता द्वारा बन्द लिफाफे के ऊपर "चिड़ियाघर में मांस आपूर्ति हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए।

9.6.प्राप्त निविदाओं को दिनांक 18.09.2021 को दोपहर 2:30 बजे निदेशक, प्राणी उद्यान, नैनीताल या उनके द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा निविदादाताओं या उनके द्वारा अधिकृत सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा।

9.7.निर्धारित समय व तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदायें निरस्त समझी जायेगी व किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।

9.8.निविदादाता द्वारा "सशर्त" निविदा को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

9.9.इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि निविदा जमा करने से पूर्व आपूर्ति स्थल, इतर सम्बन्धित मुद्दों को भलीभांति समझ लें। इच्छुक निविदादाता को आपूर्ति से सम्बन्धित कोई शंका/प्रश्न है तो वे लिखित रूप में निदेशक कार्यालय, नैनीताल प्राणी उद्यान से दिनांक 17.09.2021 तक शंका निवारण कर सकते हैं।

10. ड्यूटी दिवस:- चयनित ठेकेदार प्रतिदिन नियमित मांस आपूर्ति करनी होगी।

11. कार्य की जमानत (Performance Security):-

11.1.चयनित निविदादाता को जमानत के रूप में धनराशि रू0 15000.00 (रू0 पन्द्रह हजार) को 30 दिन के अन्दर निदेशक, कार्यालय, प्राणी उद्यान, नैनीताल में कार्य की जमानत (Performance security) के रूप में जमा करनी होगी।

11.2.कार्य की जमानत (Performance security) को टी0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एन.एस.सी.) के रूप में जमा करना होगा जो " निदेशक, नैनीताल प्राणी उद्यान" के कार्यालय में निरूपित होगी।

11.3.ठेका समाप्त होने के उपरान्त उक्त कार्य की जमानत (Performance security) को ठेकेदार को वापस की जायेगी। जो निविदा शर्तों से आच्छादित रहेगी।

11.4.ठेकेदार द्वारा निविदा शर्तों का उल्लंघन कि दशा में चिड़ियाघर प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि यह ठेकेदार द्वारा जमा कार्य की जमानत (Performance security) कि धनराशि या पूर्व या आंशिक रूप से जब्त कर सकेगा।

12. मांस की आपूर्ति का भुगतान:- चिड़ियाघर प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि वह कभी भी आपूर्ति किये गये मांस की जांच कर सकेगा। जांच में रोग ग्रस्त, खराब पाये गये मांस को चिड़ियाघर प्रबन्धन को नष्ट/वापस करने का अधिकार होगा। बिल का भुगतान चिड़ियाघर प्रबन्धन द्वारा मांस की गुणवत्ता प्रमाणित करने के उपरान्त मासिक रूप में किया जायेगा।

13. **अर्थदण्डः**—आपूर्ति प्रतिदिन होना नितान्त आवश्यक है। जिस दिन आपूर्ति नहीं होगी उस दिन प्रतिदिन रू0 1000.00 की दर से अर्थदण्ड लिया जायेगा। लगातार 03 दिन तक आपूर्ति न होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है व जमानत जब्त की जा सकती है।
14. **मांस के दरों कि अवधिः**— चयनित निविदादाता द्वारा स्वीकृत सामग्री आपूर्ति की दरे ठेके को लागू करने के एक वर्ष तक मान्य रहेगी।
15. **टी0डी0एस0 एवं अन्य सरकारीः**— टी0डी0एस0 व अन्य वसूली नियमानुसार समय-समय पर जारी शासनादेश/आदेश से आच्छादित रहेगी।
16. टेण्डर को बिना कारण बतायें स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, प्राणी उद्यान, नैनीताल को होगा। ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए मांस निदेशक, प्राणी उद्यान, नैनीताल या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा जाँच के उपरान्त आपूर्ति स्वीकार या अस्वीकार की जायेगी।
17. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ निम्न संलग्नक प्रेषित करने होंगे।
 1. अर्नेस्टमनी डिपोजिट (रू0 15000.00) का टी.डी.आर./डिमाण्ड ड्राफ्ट/ एन.एस.सी./ प्राणी उद्यान, नैनीताल में पूर्व में जमा जमानत की राशि विवरण।
 2. निविदा शुल्क रू0 1000.00+18% GST = 1180.00(रू0 एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट(इन्टरनेट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दशा में)
 3. पैन कार्ड की छाया प्रति।
 4. किसी सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज न होने का घोषणा पत्र।
 5. स्थानीय पशु वधशाला तथा मांस बेचने का लाईसेंस।
 6. जी0एस0टी0 पंजीकरण की छायाप्रति।
 7. उन सभी उत्पादों पर जिनमें जी0एस0टी0 लागू है, उन सभी उत्पादों के दरों पर जी0एस0टी0 शामिल करते हुये दरें दी जाए।

संलग्नकः— आपूर्ति की सूची ।

भवदीय

निदेशक
जी0बी0 पन्त
उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान
नैनीताल

पत्रांक 63/ 2-जू (टैण्डर) तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, (वन्य जीव) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाँऊ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल, भीमताल।
6. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
8. वन क्षेत्राधिकारी, 'जू' को बृहत प्रचारार्थ प्रेषित।
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु।

निदेशक
जी0बी0 पन्त
उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान
नैनीताल

भैंसे, बकरे व मुर्गे के गोश्त की दैनिक आपूर्ति का निविदा प्रपत्र
निविदा प्रपत्र का मूल्य— 1000.00+18% GST == 1180.00 (रु० एक हजार एक सौ अस्सी मात्र)

सेवा में,

निदेशक,
जी०बी० पन्त,
उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान प्रबन्ध सोसाइटी,
नैनीताल।

विषय:— वर्ष 2021–2022 में जी०बी० पन्त, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल के मांसाहारी वन्यजीवों के दैनिक आहार हेतु दिनांक 01.11.2021 से 31.10.2022 तक के लिए एक वर्ष की अवधि अथवा उसके अर्न्तगत किसी अवधि के लिए बढ़ाने की शर्त सहित, भैंसे, बकरे के गोश्त की दैनिक आपूर्ति की निविदा।

महोदय,

मैं/हम निम्न दरों पर जी०बी० पन्त, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल के पशु/पक्षियों के लिए दैनिक आहार हेतु भैंसे, बकरे, के गोश्त (भैंसे एवं भैंसे के पड़वे के गोश्त) के वांछित हिस्से के उत्तम श्रेणी के ताजा, साफ, सुधरे, गर्दन, करेली, नस, पट्टे चर्बी एवं पैरासाइट तथा मिलावट रहित की वर्ष 2021–2022 में दिनांक 01.11.2021 से 31.10.2022 तक गोश्त को निम्न अनुसार प्रति कि०ग्रा० की दर पर दैनिक आपूर्ति करने को तैयार हूँ/ हैं।

क्र०स०	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा कि०ग्रा० में (प्रतिदिन)	दर प्रति किलो	
			अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5
1.	भैंसा मांस (बिना हड्डी का) (हड्डी सहित)	40.000 कि०ग्रा० 19.250 कि०ग्रा०		
	योग	49.250 कि०ग्रा०		
2.	बकरा मांस	आवश्यकतानुसार		
3.	मुर्गा	आवश्यकतानुसार		

विक्रय हेतु निर्गत

निदेशक, जी०बी० पन्त,
उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, प्रबन्ध सोसाइटी,
नैनीताल।

हस्ताक्षर—

निविदादाता का नाम—
निविदादाता के पिता/पति का नाम—
पत्रव्यवहार का पता —

घोषणा

मैं एतद्दत घोषणा करता हूँ कि समस्त भरी गई सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं। मैंने सभी नियम व शर्तें जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित हैं। पढ़ ली हैं तथा मुझे मान्य हैं।

उपरोक्त जानकारीयों के सम्बन्ध में यदि प्राणी उद्यान प्रबन्धन कोई जाँच करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा जाँच में कोई भी गलत सूचना पायी जाने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राणी उद्यान प्रबन्धन को होगा।

संलग्नक: रसीद सं०
बैंक का नाम

दिनांक 2021

निविदादाता के हस्ताक्षर